आखिरी जांच: 20 अक्टूबर 2026 · State Commissioner for Persons with Disabilities / Directorate of Social Welfare, Goa

Scheme of State Awards for the Welfare of Persons with Disabilities

गोवा उन नियोक्ताओं, NGO, ब्लॉकों और दिव्यांग सरकारी कर्मचारियों को नकद राज्य पुरस्कार देता है जिन्होंने दिव्यांगजनों के कल्याण में उत्कृष्ट काम किया हो।

क्या मिल सकता है

तीन सर्वश्रेष्ठ कर्मचारियों, एक सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता, एक सर्वश्रेष्ठ NGO और एक सर्वश्रेष्ठ ब्लॉक को Rs 25,000 प्रत्येक का पुरस्कार दिया जाता है।

किसके लिए है

नियोक्ता, NGO, ब्लॉक और दिव्यांग सरकारी कर्मचारी, जिन्होंने गोवा में दिव्यांगजनों के लिए उल्लेखनीय काम किया हो।

मुख्य शर्तें

- सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता पुरस्कार उस नियोक्ता को मिलता है जिसके यहाँ कम से कम 35 दिव्यांग व्यक्ति हों, जो बाधा-मुक्त पहुँच और समान सेवा शर्तें दे, और परिवहन या आवास जैसी अतिरिक्त सुविधाएँ भी दे।
- सर्वश्रेष्ठ NGO को उसकी सेवा के सालों और प्रशिक्षण, शिक्षा, पुनर्वास, ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँच और सहायक उपकरण देने में नई पहलों के आधार पर परखा जाता है।
- सर्वश्रेष्ठ ब्लॉक को इस आधार पर परखा जाता है कि दिव्यांगजन अधिनियम कितनी अच्छी तरह लागू हुआ।
- दिव्यांग सरकारी कर्मचारी सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग कर्मचारी पुरस्कार के लिए तय प्रारूप में आवेदन करता है।

दस्तावेज़

- उपलब्धियों का ब्योरा और सहायक कागज़ (प्रारूप A)
- कर्मचारी का दिव्यांगता प्रमाणपत्र (प्रारूप B)
- दिव्यांगजन अधिनियम की धारा 52 के तहत समाज कल्याण निदेशालय का पंजीकरण प्रमाणपत्र
- सहायक कागज़ों के साथ विस्तृत गतिविधि रिपोर्ट (प्रारूप C)
- कर्मचारी पुरस्कार के लिए प्रारूप D में आवेदन, दिव्यांगता प्रमाणपत्र सहित, सभी कागज़ राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित

आवेदन कैसे करें

1. अपनी श्रेणी के तय प्रारूप में उपलब्धियों के ब्योरे और कागज़ात के साथ आवेदन तैयार करें।
2. उसे समाज कल्याण निदेशालय में जमा करें।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://scpwd.goa.gov.in/statesectorschemes/#ac_187_collapse11
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/goa/goa-state-awards-welfare-persons-with-disabilities/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।